सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 241/14 **निर्णय दिनांकः 16.03.2018**

1. मनोहरलाल पुत्र रामरख जाति बिश्नोई निवासी खानूवाली तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 11—12—2000
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः—

1. श्री बहादुरराम सुथार, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 11—12—2000 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट् बतौर भूमिहीन चक 2 डी.ओ. के मुरब्बा नम्बर 143/18 के किला नम्बर 5 में 1 बीघा कमाण्ड, किला नम्बर 1 ता 4, 6 ता 24 में तादादी 24 बीघा अनकमाण्ड व मुरब्बा नम्बर 143/27 के किला नम्बर 1 ता 8 में 8

बीघा कमाण्ड इस प्रकार कुल तादादी 33 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का आवंटन दिनांक 13—11—1984 को अपीलांट के हक में आवंटन किया गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को आवंटित भूमि का आवंटन आदेश दिनांक 23—02—1988 को जारी कर दिया गया अपीलांट तभी से मौके पर आबाद होकर काबिज काश्त कर रहा है। आवंटन आदेश की पालना मे अपीलांट को आवंटित भूमि का कब्जा सुपुर्द कर दिया गया व आज दिनांक तक अपीलांट आवंटित भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। अपीलांट द्वारा आवंटित भूमि की शेष किश्तें समय पर जमा नहीं कराई जा सकी। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को बिना सूचना व सुनवाई का अवसर प्रदान किये अपीलांट को आवंटित भूमि किश्तों के अभाव में खारिज कर दी गई। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट आवंटित भूमि की शेष किश्तें जमा करवाने हेतु हमेशा तैयार रहा है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को किश्तें जमा करवाने हेतु कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को आवंटित भूमि में से चक 2 डीओ के मुरब्बा नम्बर 143/18 आज दिनांक को भी राजस्व रिकार्ड में आराजी राज दर्ज है व मुरब्बा नम्बर 143/27 की 8 बीघा भूमि चांदादेवी पत्नी मुनीराम जाति नायक को विशेष आवंटन में स्वीकृत है। जो कतई अनुचित व गैरकानूनी व नियम विरूद्व है। अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन को खारिज करने से पूर्व व अन्य को आवंटित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था। जो नहीं देकर अदालत मातहत द्वारा मनमाने ढंग से अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंधन किया है।

अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष समय समय पर उपस्थित होकर वादगत् भूमि की किश्तें जमा करवाने हेतु निवेदन करता रहा है। अदालत मातहत द्वारा न तो अपीलांट से किश्तें जमा करवाई गई ना ही अपीलांट का आवंटन आज दिनांक तक खारिज किया गया है। केवल मात्र सेल रजिस्टर में एक नोट अंकित है कि एसीसी महोदय के पत्रांक 16007 दिनांक 11—12—2000 से किश्तों के अभाव में खारिज हुआ।

जबकि पत्रावली की आदेशिका में ऐसा कोई खारिजी आदेश उपलब्ध नहीं है।

अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 11—11—1998 को इस आश्य का प्रस्तुत किया गया था कि आवंटित रकबे की एवज में राशि का चालान जारी किया जावे ताकि प्रार्थिया राशि जमा करवा सकें। अदालत मातहत द्वारा अपीलांटा के उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही न करते हुए अपीलांटा को आवंटित भूमि किश्तों के अभाव में एकतरफा तौर पर अपीलांटा को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पारित किया है। अपीलांटा आज भी बकाया किश्तें जमा करवाने को तैयार है। ऐसी स्थिति में अपीलांटा का आवंटन बहाल करते हुए शेष किश्तें जमा करवाये जाने के आदेश प्रदान करावें व अपीलांटा को आवंटित भूमि जो अन्य को आवंटित कर दी गई है कि एवज में अन्य भूमि आवंटित किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 11—12—2000 के विरूद्व अपील दिनांक 03—11—14 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील स्पष्ट रूप से मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवांटन किश्तों के अभावा में खारिज किया है। अपीलांटा को बकाया किश्तें जमा करवाने हेतु नोटिस जारी किया गया था। अपीलांट् बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आई। ऐसी स्थिति में अपीलांट का आवंटन सही खारिज किया गया है। अतः अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 1—12—2000 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 03—11—2014 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये पारित किया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) हस्तगत् प्रकरण में चक 2 डी.ओ. के मुरब्बा नम्बर 143/18 के किला नम्बर 5 में 1 बीघा कमाण्ड, किला नम्बर 1 ता 4, 6 ता 24 में तादादी 24 बीघा अनकमाण्ड व मुरब्बा नम्बर 143/27 के किला नम्बर 1 ता 8 में 8 बीघा कमाण्ड इस प्रकार कुल तादादी 33 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का आवंटन दिनांक 13—11—1984 को अपीलांट के हक में आवंटन किया गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को आवंटित भूमि का आवंटन आदेश दिनांक 23—02—1988 को जारी कर दिया गया

(3) अपीलांटा को आराजी जैर के आवंटन के पश्चात् अपीलांट द्वारा शेष किश्तें जमा करवाने से पूर्व एक प्रार्थना पत्र अदालत मातहत के समक्ष इस आश्य का प्रस्तुत किया कि अपीलांट को आवंटित भूमि कि किश्तों के बाबत् चालान दे दिया जावे ताकि अपीलांटा राशि जमा करवा सके। अदालत मातहत द्वारा न तो अपीलांटा को अन्य भूमि आवांटित की गई न ही शेष भूमि हेंतु चालान जारी किया गया ताकि अपीलांटा निर्धारित राशि जमा करवा सकती।

(4) पत्रावली का अवलोकन किया गया। अदालत मातहत की पत्रावली पर किसी प्रकार का आदेश, अन्य को आवंटन आदेश से पूर्व अपीलार्थी के आवंटन को निरस्त करने या उसे नोटिस देने का कोई

तथ्य, नोट, आदेश, टिप्पणी अंकित नहीं है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को जो नोटिस जारी किया गया है उसकी पालना में अपीलांट अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर वदगत् भूमि के कब्जे बाबत् निवेदन किया गया था। अदालत मातहत द्वारा तत्समय न तो अपीलांट को कब्जा दिया गया ना ही बकाया राशि हेतु चालान जारी किया गया।

(5) अदालत मातहत की पत्रावाली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अदालत मातहत की पत्रावली में अपीलांट के आवांटन का कोई खारिजी आदेश पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अदालत मातहत के समक्ष अपीलांट स्वयं द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि शेष राशि का चालान जारी किया जावे ताकि अपीलांट बकाया राशि जमा करवा सके। अदालत मातहत द्वारा अपीलांटा के उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं करते हुए एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर, बिना नोटिस प्रदान किये एकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है।

(6) विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के संबंध में प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2071—2074 के अनुसार चक 2 डीओ के मुरब्बा नम्बर 143/18 की भूमि आज दिनांक को राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज है व मुरब्बा नम्बर 143/27 की 8 बीघा भूमि चांदादेवी पत्नी मुनीराम जाति नायक को आवंटनशुदा भूमि है।

(7) अपीलांटा आज दिनांक को भी बकाया राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश की पुष्टि किया जाना युक्तियुक्त व तर्कसंगत नहीं है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 11—12—2000 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को आवांटित भूमि में से चक 2 डीओ के मुरब्बा नम्बर

145/18 जो आज दिनांक को राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज है, की बकाया राशि एकमुश्त मय ब्याज जमा करवाई जाकर आवंटन बहाल किया जावे व चक 2 डीओ के मुरब्बा नम्बर 143/27 की 8 बीघा भूमि जो अन्य को आवंटित की जा चुकी है, की एवज में पात्रता अनुसार उसी किस्म की विवादरहित व भूमि उपलब्ध होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 16.03.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर